अति–आवश्यक

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, सेवायें, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक :राजपत्रित / सामान्य / प–49 / 2011 / 473 **दिनांक : 13/6/11**

समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी,
राजस्थान।

विषयः–चिकित्सकों को विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों में कार्यमुक्त करने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आमतौर पर प्रायः यह देखा गया है कि विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों में निदेशालय स्तर से चिकित्सकों को मनोनीत करने के उपरान्त भी चिकित्सकों को सम्बन्धित नियंत्रण अधिकारियों द्वारा कार्यमुक्त नहीं किया जाता है या उनकी जगह दूसरे चिकित्सकों को अपने स्तर से ही मनोनीत कर दिया जाता है तथा प्रायः यह भी देखा गया है कि चिकित्सकों को कार्यमुक्त करने के उपरान्त भी सम्बन्धित चिकित्सक प्रशिक्षण स्थल पर अपनी उपस्थिति नहीं देते है।

अतः सम्बन्धित नियंत्रण अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि यदि आप द्वारा सम्बन्धित चिकित्सक को प्रशिक्षण हेतु कार्यमुक्त नहीं किया जाता है तो प्रशिक्षण पर राज्य सरकार द्वारा जो खर्चा किया जाता है उस खर्चे की सम्पूर्ण वसूली सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एवं सम्बन्धित प्रमुख चिकित्सा अधिकारी से की जावेगी तथा जो प्रशिक्षणार्थी (चिकित्सक) कार्यमुक्त उपरान्त भी प्रशिक्षण के लिये उपस्थित नहीं होंगे तो प्रशिक्षण खर्च की सम्पूर्ण वसूली उनके वेतन से की जावेंगी।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक :राजपत्रित / सामान्य / प–49 / 2011 / 473 **दिनांक : 13/6/11**

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन–जयपुर / बीकानेर / जोधपुर / उदयपुर / अजमेर / कोटा / भरतपुर को भेजकर लेख है कि उक्त निर्देशों की पालना आप अपने स्तर से सुनिश्चित करते हुये इस कार्यालय को सूचित करें।
2. प्रभारी, कम्प्यूटर सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त पत्र को विभाग की वैबसाईट पर डलवाने की व्यवस्था करावें।
3. रक्षित पत्रावली।

13/6/11

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान, जयपुर